



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271531
CG-DL-E-02042026-271531

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 1639]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1704 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में Greenfield Highway के कि.मी. 145.9 से कि.मी.154.8 (एट्-कुजंगा, डिस्ट-जगतसिंह पर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि व हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, कुजंग को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरों सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में Greenfield Highway के कि.मी. 145.9 से कि.मी.154.8 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: जगतसिंहपुर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुजंग					
गांव का नाम: संतरा					
1	349/1063	निजी	शरद -2	0.00348 (एकर)	0.0014083
गांव का नाम: दुयाडिआ					
2	769	निजी	घराबरी	0.31466 (एकर)	0.1273412
गांव का नाम: घोड़मारा					
3	201	निजी	चक	0.00013 (एकर)	0.0000526
4	319	निजी	चक	0.04052 (एकर)	0.0163982
5	321	निजी	चक	0.05792 (एकर)	0.0234399
6	322	निजी	चक	0.08214 (एकर)	0.0332416
7	323	निजी	चक	0.18823 (एकर)	0.0761756
8	324	निजी	चक	0.46207 (एकर)	0.1869972
9	326	निजी	चक	0.67854 (एकर)	0.2746014
10	327	निजी	चक	0.06687 (एकर)	0.0270619
11	328	निजी	चक	0.00354 (एकर)	0.0014326
12	332	निजी	चक	0.28545 (एकर)	0.11552
13	333	निजी	चक	0.28852 (एकर)	0.1167624
14	334	निजी	चक	0.08518 (एकर)	0.0344719
15	353	निजी	चक	0.58837 (एकर)	0.2381101
16	354	निजी	चक	0.5096 (एकर)	0.2062323
17	356	निजी	चक	0.08857 (एकर)	0.0358438
गांव का नाम: पनपाली					
18	1364	निजी	चक	0.00435 (एकर)	0.0017604
19	1365	सरकारी	घाराबारी	0.01377 (एकर)	0.0055726
20	1368	सरकारी	रास्ता	0.006416 (एकर)	0.0025965

21	1381	सरकारी	रास्ता	0.19364 (एकर)	0.078365
22	1383	सरकारी	रास्ता	0.01258 (एकर)	0.0050911
23	1386	निजी	चक	0.02786 (एकर)	0.0112748
24	1387	निजी	चक	0.00533 (एकर)	0.002157
25	1395	निजी	चक	0.09153 (एकर)	0.0370417
गांव का नाम: जमुकाना					
26	11	सरकारी	नाल	0.02225 (एकर)	0.0090045
27	12	सरकारी	रास्ता	0.07476 (एकर)	0.030255
28	120	निजी	चक	0.02118 (एकर)	0.0085714
29	16	निजी	चक	0.47325 (एकर)	0.1915217
30	54	निजी	चक	0.8291 (एकर)	0.3355322
गांव का नाम: बोलंगा					
31	1022	निजी	चक	0.15959 (एकर)	0.0645852
32	1522	निजी	चक	0.19 (एकर)	0.076892
33	1565	सरकारी	निस्काशन नाली	0.07993 (एकर)	0.0323472
34	778	निजी	शरद -2	0.00344 (एकर)	0.0013921
35	824	निजी	बियाली दोफसली	0.08 (एकर)	0.0323756
Total					2.441427

[फा. सं. NHAI/Costal Highway/Rameswar-Ratanpur/LA/3(a)/PIU/BBSR/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1704(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 145.9 to Km. 154.8 (At-Kujanga, Dist-Jagatsingh pur) in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahasildar, Kujang in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Greenfield Highway in the stretch of land from Km. 145.9 to Km. 154.8 (At-Kujanga, Dist-Jagatsingh pur) in the district of Jagatsinghpur in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: Jagatsinghpur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kujang					
Village: Santara					
1	349/1063	Private	Sharad -2	0.00348 (Acre)	0.0014083
Village: Duadia					
2	769	Private	Gharabari	0.31466 (Acre)	0.1273412
Village: Ghoda mara					
3	201	Private	Chak	0.00013 (Acre)	0.0000526
4	319	Private	Chak	0.04052 (Acre)	0.0163982
5	321	Private	Chak	0.05792 (Acre)	0.0234399
6	322	Private	Chak	0.08214 (Acre)	0.0332416
7	323	Private	Chak	0.18823 (Acre)	0.0761756
8	324	Private	Chak	0.46207 (Acre)	0.1869972
9	326	Private	Chak	0.67854 (Acre)	0.2746014
10	327	Private	Chak	0.06687 (Acre)	0.0270619
11	328	Private	Chak	0.00354 (Acre)	0.0014326
12	332	Private	Chak	0.28545 (Acre)	0.11552
13	333	Private	Chak	0.28852 (Acre)	0.1167624
14	334	Private	Chak	0.08518 (Acre)	0.0344719
15	353	Private	Chak	0.58837 (Acre)	0.2381101
16	354	Private	Chak	0.5096 (Acre)	0.2062323
17	356	Private	Chak	0.08857 (Acre)	0.0358438
Village: Panapali					
18	1364	Private	Chak	0.00435 (Acre)	0.0017604
19	1365	Government	Gharabari	0.01377 (Acre)	0.0055726
20	1368	Government	Rasta	0.006416 (Acre)	0.0025965
21	1381	Government	Rasta	0.19364 (Acre)	0.078365
22	1383	Government	Rasta	0.01258 (Acre)	0.0050911
23	1386	Private	Chak	0.02786 (Acre)	0.0112748
24	1387	Private	Chak	0.00533 (Acre)	0.002157
25	1395	Private	Chak	0.09153 (Acre)	0.0370417
Village: Jamukana					
26	11	Government	Nal	0.02225 (Acre)	0.0090045
27	12	Government	Rasta	0.07476 (Acre)	0.030255
28	120	Private	Chak	0.02118 (Acre)	0.0085714
29	16	Private	Chak	0.47325 (Acre)	0.1915217

30	54	Private	Chak	0.8291 (Acre)	0.3355322
Village: Baulanga					
31	1022	Private	Chak	0.15959 (Acre)	0.0645852
32	1522	Private	Chak	0.19 (Acre)	0.076892
33	1565	Government	Niskashan Nali	0.07993 (Acre)	0.0323472
34	778	Private	Sharad -2	0.00344 (Acre)	0.0013921
35	824	Private	BIALI DOFASALI	0.08 (Acre)	0.0323756
Total					2.441427

[F. No. NHAI/Costal Highway/Rameswar-Ratanpur/LA/3(a)/PIU/BBSR/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director